दिनांक 26.06.19 को दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी एवं उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही।

1. **दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी**:–दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी ने कितने जगहों पर विद्युत मीटर लगाया इस बात की समीक्षा की गई। दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बताया गया कि इनके क्षेत्र में कुल 4783 नलकूप हैं इसमें से 2990 जगहों पर विद्युत मीटर लगाया गया है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वे अन्य बचे हुए स्थानों पर शीघ्र विद्युत मीटर लगाये। विद्युत मीटर लगाते समय यह नहीं देखें कि नलकूप चालू है अथवा नहीं। यह देखना विद्युत कंपनी का काम नहीं है। विद्युत कंपनी जहाँ–जहाँ विद्युत मीटर लगा सकती है वहाँ लगाते हुए आगे बढ़े।

दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी को यह भी निदेश दिया गया कि बचे हुए जो विद्युत मीटर लगा रहे हैं उसका आई.डी. इस विभाग को भेजें/सूचित करें। क्योंकि विभाग ने यह पहले ही निर्णय ले लिया था कि बिजली विभाग का Consumer ID ही विभाग के नलकूप का ID रहेगा। जहाँ–जहाँ यह मीटर लगाते जाए, वहाँ–वहाँ उसका Consumer ID हमारे विभाग के साफ्टवेयर प्रभारी, श्री चन्द्रशेखर को देते जाएँ।

2. **उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी**:–उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 5633 नलकूप हैं, जिसमें 4605 जगहों पर मीटर लगा दिया गया है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा यह कहा गया कि शेष स्थानों पर भी अतिशीघ्र विद्युत मीटर लगा दें, जहाँ मीटर सुरक्षित रह सके। विद्युत मीटर लगाते समय यह नहीं देखें कि नलकूप चालू है अथवा नहीं। यह देखना विद्युत कंपनी का काम नहीं है। विद्युत कंपनी जहाँ–जहाँ विद्युत मीटर लगा सकती है वहाँ लगाते हुए आगे बढ़े।

3. विद्युत मीटर लगाने की रफ्तार बहुत धीमी रहने के कारण प्रधान सचिव द्वारा अप्रसन्ता व्यक्त की गई साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि 31 अक्टूबर 19 तक जहाँ–जहाँ विद्युत मीटर लग सकता है, वहाँ–वहाँ विद्युत मीटर लगा दिया जाय। नलकूप चालू है या बंद, यह देखना विद्युत कंपनी का काम नहीं है। विद्युत कंपनी यह देखे कि मीटर लगाने के लिए वहाँ भवन है या नहीं। वहाँ मीटर लगाने के बाद वह सुरक्षित रहेगा कि नहीं। जहाँ–जहाँ विद्युत कंपनी मीटर लगाते हैं, वहाँ–वहाँ की Consumer ID की सूचना हमारे विभाग के साफ्टवेयर प्रभारी, श्री चन्द्रशेखर को देते जाएँ। ताकि हम Consumer ID के आधार पर नलकूप ID से Generate कर सके।

4. प्रधान सचिव द्वारा इस पर भी अप्रसन्ता व्यक्त की गई कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संकल्प पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संकल्प में यह कहा गया था कि मीटर का किराया एवं उसपर देय सभी शुल्क विभाग द्वारा भुगतान होगा। पंचायतों को केवल बिजली खपत का भुगतान करना है। इस कार्य को शीघ्र किया जाय। इस संबंध में **15 अक्टूबर 19 को अप. 5.00** बजे प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में एक Presentation किया जाय।

15 अक्टूबर 19 को भी विद्युत मीटर लगाने की प्रगति की समीक्षा बिजली कंपनी के साथ की जायेगी और यह तब तक की जायेगी जब तक कि बिजली मीटर लगाने की और बिल बनाने की प्रक्रिया को Stabilize नहीं हो जाती है।

5. दोनों विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिनिधियों को प्रधान सचिव द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि जहाँ–जहाँ मुखियाओं ने नलकूप चलाना शुरू कर दिया है, वहाँ यदि बिजली बिल 750 रू0 से अधिक आता है तो विद्युत कंपनी के अभियंता भी स्थल निरीक्षण करें कि कहीं संबंधित मुखिया अथवा किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा नलकूप पर लगे बिजली कनेक्शन का दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है।

ह0/–
(के0 के0 पाठक)
प्रधान सचिव।
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाने की समीक्षा अपने स्तर से भी करने की कृपा करें।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 7075 पटना, दिनांकः– 27/09/19

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, दक्षिण एवं उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।